



Reg. No. 28/65-66

ग्राम विकास अधिकारियों का एकमात्र संगठन  
(विभागीय मान्यता प्राप्त)

# राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ (पंजी) जयपुर

जिला / उपशाखा.....

Website- [www.gramsevak.org](http://www.gramsevak.org), E-Mail : [gramsevak@gmail.com](mailto:gramsevak@gmail.com), Mob. 9829092714

क्रमांक :-

दिनांक :-13.08.2019

## कलमबन्द असहयोग आन्दोलन – पट्टा वितरण अभियान – 2019

माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय,  
राजस्थान सरकार, जयपुर।

श्रीमान् अति. मुख्य सचिव महोदय,  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,  
राजस्थान सरकार, जयपुर

विषय :- महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के दौरान पट्टा वितरण अभियान में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- विभागीय पत्रांक एफ.4(35)मगांशाशि/पट्टा/विधि/पंरा/2019/1358 जयपुर दिनांक 09.08.2019

द्वारा :- .....

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राज्य सरकार द्वारा महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर के दौरान ग्राम पंचायतों में पट्टाहीन पात्र परिवारों/व्यक्तियों को आबादी भूमि के पट्टे देने एवं भूखण्ड आवंटन करने हेतु प्रसांगिक परिपत्र द्वारा आदेशित किया गया है। इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि पूर्ववर्ती राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14 अप्रैल 2017 से 12 जुलाई 2017 तक ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा/ भूखण्ड आवंटन हेतु चलाये गये अभियान के दौरान भी विक्रय विलेख जारी करने में आने वाली प्रक्रियात्मक जटिलताओं एवं व्यावहारिक समस्याओं के सम्बन्ध में संगठन द्वारा शासन एवं सरकार को ज्ञापन प्रेषित कर ध्यान आकर्षित किया गया था। उस समय कुछ समस्याओं का निराकरण हो गया था, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग द्वारा विशेष प्रयास कर जन प्रतिनिधियों के सहयोग से 10 लाख से अधिक विक्रय विलेख/ भूखण्ड आवंटन किये गये थे।

वर्तमान में ग्राम पंचायत स्तर पर विक्रय विलेख जारी करने की जो अधिकांश पत्रावलियां लम्बित है या जिन भूखण्डों का आवंटन किया जाना शेष है, वो विधिक जटिलताओं, अन्य विभागों के असहयोग एवं विभाग द्वारा विक्रय विलेख जारी करने की प्रक्रिया की स्पष्टता के अभाव में लम्बित है। राज्य सरकार के इस अभियान में पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाली विभिन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं एवं व्यावहारिक समस्याओं की ओर श्रीमान का ध्यान आकर्षित कर सादर अनुरोध है कि अभियान से पूर्व निम्नलिखित बिन्दुओं का समाधान करने का श्रम करें जिससे कि पट्टा अभियान में सरकार/ विभाग की मंशानुरूप परिणाम प्राप्त किये जा सकें।

## प्रक्रियात्मक जटिलताओं एवं व्यावहारिक समस्याओं का बिन्दुवार विवरण :

1. सर्वप्रथम रा. पं. रा. नियम 1996 के नियम 140 के अन्तर्गत विक्रय विलेख जारी किये जा सकने वाली आबादी भूमि की स्थिति (बिलानाम आबादी, खातेदारी आबादी, सिवायचक आबादी, गैर मुमकिन आबादी, अनाधिवासित भूमि) की स्थिति स्पष्ट की जाये।
2. विभागीय आदेश क्रमांक 266 दिनांक 05.04.2017 के बिन्दु संख्या 2 में समस्त जिला कलक्टर को आदेशित किया गया था कि ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत के नाम किया जावे। इसके पश्चात् भी विभाग द्वारा अलग-अलग समय पर आदेश प्रसारित कर जिला कलक्टर साहिबान को इस हेतु निर्देशित किया जाता रहा है, लेकिन आज दिनांक तक भी 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के नाम ग्राम पंचायत में उपलब्ध गैर मुमकिन आबादी भूमि का इन्द्राज नहीं किया गया है, जिसके अभाव में इस अभियान के दौरान संगठन द्वारा पट्टा जारी नहीं करने का निर्णय किया गया है।
3. विभागीय आदेश क्रमांक 266 दिनांक 05.04.2017 के बिन्दु संख्या 4 में समस्त जिला कलक्टर को आदेशित किया गया था कि ग्राम पंचायत में विक्रय विलेख जारी की जा सकने वाली आबादी भूमि का सीमांकन/पत्थरगढ़ी करना सुनिश्चित करें। बहुत अधिक खेद का विषय है कि विभाग के बार-बार आदेशों के बावजूद भी अधिकांश ग्राम पंचायतों में राजस्व विभाग के कर्मचारी/ अधिकारियों द्वारा सीमाज्ञान /पत्थरगढ़ी नहीं की गई है। लगभग समस्त ग्राम पंचायतों की मुख्य आबादी, आबादी भूमि के साथ ही सिवाय चक भूमि, कृषि भूमि, चारागाह भूमि, यहां तक कि गैर मुमकिन रास्तों में भी बसी हुई है, जिनका बिना राजस्व कर्मचारी/ अधिकारी की रिपोर्ट के भूमि किस्म पता किया जाना ग्राम पंचायतों के लिये सम्भव नहीं है।  
पूर्व में हलका पट्टवारी ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले प्रत्येक विक्रय विलेख की पत्रावली पर भूखण्ड के आबादी भूमि में स्थित होने/ नहीं होने सम्बन्धी रिपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन विगत अभियान से ही बहुत अधिक संख्या में विक्रय विलेख जारी होने की पत्रावलियां आने के कारण इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में पट्टा पत्रावलियों पर भूमि किस्म की रिपोर्ट नहीं की जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र (विकास प्राधिकरण, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका) की प्रत्येक पट्टा पत्रावली पर सम्बन्धित हलका पट्टवारी द्वारा भूमि किस्म की रिपोर्ट इन्द्राज की जा रही है, फिर ग्राम पंचायतों के साथ ही सौतेला व्यवहार क्यों?  
राज्य सरकार के पिछले अभियान के बाद जो अधिकांश पट्टा पत्रावलियां लम्बित रही हैं, उनका मुख्य कारण भूमि किस्म का स्पष्ट ज्ञान न होना, स्थानीय निधि अंकेक्षण एवं महालेखाकार अंकेक्षण द्वारा विक्रय विलेख की पत्रावलियों में भूमि किस्म सम्बन्धी रिपोर्ट नहीं होने का पेरा इन्द्राज कर ग्राम विकास अधिकारियों को आरोपित करना एवं गैर आबादी भूमि में त्रुटिवश पट्टे जारी होने पर सरपंच/ ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाहियां न्यायालय/ पुलिस थाना में दर्ज होना आदि रहा है।  
इस सम्बन्ध में ग्राम विकास अधिकारी संघ ने स्पष्ट निर्णय किया है कि जब तक शासन एवं सरकार द्वारा विक्रय विलेख की प्रत्येक पत्रावली पर राजस्व कर्मचारियों की भूमि किस्म सम्बन्धी रिपोर्ट सुनिश्चित नहीं करवाई जाती है, तब तक हमारे द्वारा किसी भी पट्टा पत्रावली का निस्तारण नहीं किया जायेगा।
4. विभागीय अधिसूचना दिनांक 22.11.2017 के द्वारा रा. पं. रा. नियम 1996 में नियम 167क प्रतिस्थापित कर विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण अनुमत किया गया है। यह अधिसूचना दो वर्ष पूर्व जारी की गई थी, लेकिन संगठन के बार बार लिखित अनुरोध के बाद भी पुनर्विधिमान्यकरण की प्रक्रिया ( पुनर्विधिमान्यकरण उसी पट्टे पर करना है, नया पट्टा जारी करना है या अलग प्रारूप में जारी करना है) विभाग द्वारा आज दिनांक तक भी जारी नहीं की गई है, जिसके कारण ग्राम पंचायतों में आये दिन अलग अलग तरह से प्रक्रियागत त्रुटियों के साथ विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का पुनर्विधिमान्यकरण किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में हमारे संवर्ग को बहुत सी कानूनी कार्यवाहियों का सामना करना पड़ सकता है। अतः अभियान से पूर्व पुनर्विधिमान्यकरण की प्रक्रिया जारी करने का श्रम करें।
5. विभागीय आज्ञा दिनांक 09.05.2018 के द्वारा विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख का हस्तांतरण अथवा नामान्तरण करने का प्रावधान किया गया है। इस विषय में विभाग द्वारा हस्तांतरण अथवा नामान्तरण किये

जाने सम्बन्धी जारी प्रक्रिया अधूरी है। इसमें यह उल्लेख नहीं किया गया है कि हस्तांतरण अथवा नामान्तरण करने के लिये पूर्व में जारी विक्रय विलेख, पट्टा या पट्टा विलेख पर ही इन्द्राज किया जायेगा या नवीन सभी हिस्सेदारों का सामुहिक / अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग विक्रय विलेख, पट्टा जारी किया जायेगा। इसके अभाव में प्रदेश की किसी भी ग्राम पंचायत में आदिनांक तक एक भी हस्तांतरण अथवा नामान्तरण की प्रक्रिया सम्पादित नहीं की जा सकी है।

6. ग्राम पंचायत एक स्वायत्तशासी संस्था है एवं विक्रय विलेख आदि जारी करना किसी जन प्रतिनिधि या कार्मिक विशेष का निर्णय नहीं होता है। यह रा. पं. रा. नियम 1996 के नियम 39 से 56 तक प्रतिस्थापित प्रक्रिया के अधीन आयोजित बैठकों का विनिश्चय होता है। अतः इन बैठकों के विनिश्चय की पालना में जारी विक्रय विलेखों के लिये किसी भी जन प्रतिनिधि या कार्मिक के विरुद्ध कानूनी / प्रशासनिक कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाकर गलत आवंटन का अपीलीय प्रावधान हो तथा गलत तथ्य प्रस्तुत कर लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्ति / प्रार्थी के विरुद्ध ही कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाने का प्रावधान कर अनुग्रहित करें।
7. ग्राम पंचायतों द्वारा पंचायती राज की स्थापना (02 अक्टूबर 1959) से ही विक्रय विलेख, पट्टा जारी किये जाते रहे हैं, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अभाव के चलते सन् 2000 से पूर्व के विक्रय विलेखों का रिकार्ड ग्राम पंचायतों में सुव्यवस्थित / उपलब्ध नहीं है। ऐसे में एक ही भूखण्ड पर दोहरे पट्टे जारी होने की बहुत अधिक सम्भावनायें रहती हैं एवं इसका खामियाजा हमारे संवर्ग को भुगतना पड़ता है। इस विकट समस्या का विभाग स्तर से विधिसम्मत समाधान करते हुये परिपत्र जारी करने का श्रम करें। साथ ही भविष्य में इस तरह की जटिलताओं से बचने के लिये विक्रय विलेख सम्बन्धी समस्त कार्यवाही ऑनलाईन प्रक्रिया से ही करवाये जाने का प्रावधान करने का श्रम करें।

उपरोक्त समस्त जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम विकास अधिकारी संघ ने निर्णय किया है कि जब तक उक्त समस्याओं का उचित समाधान नहीं किया जाता है तब तक राज्य सरकार के महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर की अवधि में पट्टा वितरण अभियान में कलमबन्द असहयोग किया जायेगा।

अतः आपसे सादर अनुरोध है कि पट्टा जारी करने में ग्राम पंचायत स्तर पर आने वाली विभिन्न प्रक्रियात्मक जटिलताओं एवं व्यावहारिक समस्याओं का उचित समाधान कर अनुग्रहित करें।

सादर!

(.....)

जिला/उपशाखा मंत्री

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,.....।

(.....)

जिला/उपशाखा अध्यक्ष

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,.....।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. श्रीमान शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, जयपुर।
2. श्रीमान जिला कलेक्टर (समस्त), राजस्थान।
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी (समस्त), राजस्थान।
4. श्रीमान विकास अधिकारी (समस्त), राजस्थान।
5. रक्षित पत्रावली।

(.....)

जिला/उपशाखा मंत्री

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,.....।

(.....)

जिला/उपशाखा अध्यक्ष

राज0ग्राम विकास अधिकारी संघ,.....।